

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, असार १ गते २०३३ साल

श्री ५ को सरकार

खाद्य, कृषि तथा सिंचाइ मन्त्रालय

कृषि विभागको

सूचना

जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ को दफा ७ को उप-दफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जिल्ला कार्यालय कृषि शाखाको भवन निर्माण गर्नको लागि गोशी अञ्चल, तेह्रथुम जिल्ला, भ्याङजुङ आदर्श गाउँ पञ्चायत वार्ड नं. १ मा पर्ने निम्न-लिखित जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोक्सानी बापत यस ऐन र जग्गा प्राप्त नियमहरू, २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पूर्व मुलबाटो, पश्चिम भरत दाहालको घर जाने गोरेटो बाटो, उत्तर निरबहादुरको घर जाने गोरेटो बाटो, दक्षिण वीरहाङको जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको जिम्मावाल रणबहादुर लिम्बु, सुधर्म रूपखाँ र तिलाके सि जिम्मा जग्गाधनी रणबहादुर खरबुङको तिरो रू. ७।५० मध्ये तिरो रू. -१२५ (पच्चीस पैसा) लागेको जम्मा ५।४ (पाँच रोपनी चार आना) को कित्ता ।

आज्ञाले-

दीर्घराज कोइराला

श्री ५ को सरकारको सचिव

(३)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

रफाचा लार्क

६ मार्च

साप्ताहिक साप्ताहिक कि ५ मि

लाभ ६६०९ कि ९ साप्ताहिक, डिसेंबर

साप्ताहिक कि ५ मि

प्रमाणित होवारी माल वीतु, डाक

किताबनी वीतु

तत्त्व

मार्च साप्ताहिक किताबनी कि (५) किताब-पत्र कि ७ किताब कि २९०९, तत्त्व वीतु माल
मीत किताब मालनी तत्त्व किताब वीतु प्रमाणित मालनी किताब कि ५ मि किताब
-मालनी किताब माल ९ किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब
किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब
किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

। किताबनी साप्ताहिक तत्त्व किताब

किताबनी किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब
किताबनी किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब
किताबनी किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब
किताबनी किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब
किताबनी किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

-किताब

किताबनी किताब

किताबनी किताब किताब

६६२

(६)

आधिकारिकता मुद्रण विभागवाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।